

स0.47(109)/2022- आर.टी.आई. सेल

18 अप्रैल 2022

श्री देवेंदर देव शर्मा,
 16 C, भैरों मंदिर,
 बौलेवर्ड रोड, सिविल लाइंस,
 नॉर्थ दिल्ली-110054

विषय:- RTI application Under RTI Act, 2005 – Reg.
 महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपनी आर०टी० आई एंपलीकेशन दिनांक 21-03-2022 का अवलोकन करें जो कि इस कार्यालय में दिनांक 23.03.2022 को प्राप्त हुई है। संबन्धित अधिकारी द्वारा आपकी आर०टी० आई एंपलीकेशन के संबंध में माँगी गई जानकारी निम्नानुसार है:

Sl. No.	Information sought	Information provided
1.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।	
2.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorized होगी या unauthorized होगी लिखित में जानकारी दी जाए।	
3.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है और फिर नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन उस बिल्डिंग को बुक कर लेती है बुक करने से मतलब क्या वह बिल्डिंग unauthorized हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जो की हैरिटेज सूची में है। उसको HCC से अनुमोदित करवाना अनिवार्य है।
4.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सेगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता है तो क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सेगसन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलीगल हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	
5.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कांर्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रतेयक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	

6.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उतरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सेगसन कर सकता है या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।	
7.	नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हेरिटेज सूची में हैं और वह शाहजहानबाद इनवेनटरी ऑफ हेरिटेज-1 में उस बिल्डिंग की फोटोग्राफ हैं और बिल्डिंग का विवरण जैसे Plan Form, Height, Transformation Conditions-Plan, Elevation, Walls, Plinth Decoration-Doors, Windows, Columns, Entablature, Brackets, Chajjas, Balcony Railings, हैं इन सब को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए HCC या उतरी दिल्ली नगर निगम दोनों या किसी एक से अनुमति लेना जरूरी है या बिना अनुमति लिए भी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना सकते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।	

यदि आप उपर्युक्त निर्णय के संबंध में कोई अपील करना चाहते हैं तो वह श्रीमती रुबी कौशल, सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, दिल्ली नगर कला आयोग, कोर-6ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को इस पत्र के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर की जा सकती है।

भवदीय,



(अलका धीर)

निजी सचिव

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी